न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 11/2019
अपीलांट

मुकेशसिंह पुत्र श्री रावत सिंह उम्र 40 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी लोहारी, तहसील व जिला झज्जर (हरियाणा)

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. परबतसिंह पुत्र श्री नाथूसिंह जाति भोमिया राजपूत, निवासी कंवला, तहसील आहोर, जिला जालोर।
2. दुष्यन्त सिंह पुत्र श्री महावीरसिंह जाति राजपूत, निवासी जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर (राज)।
3. अचला पुत्र श्री राजाजी,
4. मोपा पुत्र श्री राजाजी
5. पका पुत्र श्री राजाजी
6. नरसा पुत्र श्री मुलीया
7. गलबा पुत्र श्री मुलीया
8. गवरी देवी पत्नी मुलीया
9. वेनीया (नेनीया) पुत्र हिराजी फौत के कायम मुकाम
   9/1 होसीया पुत्र श्री वेनीया
   9/2 बाबु पुत्र श्री वेनीया (नेनीया)
   9/3 ओटी पत्नी श्री वेनीया (नेनीया)
   9/4 मोवनी पुत्री श्री वेनीया (नेनीया)
   9/5 दाकु पुत्री श्री वेनीया (नेनीया)
   9/6 पवनी पुत्री श्री वेनीया
10. वालीया पुत्र श्री हीराजी फौत के कायम मुकाम
    10/1 अणदा पुत्र श्री वलीया
    10/2 आदा पुत्र श्री वलीया
    10/3 गमना पुत्र श्री वलीया
    10/4 हका पुत्र श्री वलीया
    10/5 मदीया पुत्र श्री वालीया
    10/6 प्यारी पुत्री वालीया
    10/7 रामु पुत्री श्री वलीया
    10/8 मीरा पुत्री श्री वलीया
    10/9 इन्द्रा पुत्री श्री वलीया
11. प्रतापा पुत्र श्री दुर्गा
12. भीका पुत्र श्री दुर्गा
13. कानीया पुत्र श्री कस्तुरा
14. पेमी पुत्री किस्तुरा
15. गणेशा पुत्र श्री वरदा
16. वना पुत्र श्री दीपाजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

17. कसना पुत्र श्री दीपाजी
18. भमरा पुत्र श्री दीपाजी
19. खुमा पुत्र श्री वागाजी, तमाम जातिगण वागरी, निवासीगण कंवला, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज)
20. दीपाराम पुत्र श्री कनाराम, जाति मेघवाल, निवासी कंवला, तहसील आहोर, जिला जालोर(राज)
21. छैलसिंह पुत्र श्री परबतसिंह
22. समन्दरसिंह पुत्र श्री परबतसिंह
23. माधुसिंह पुत्र श्री परबतसिंह फौत के कायम मुकाम
    23/1 दिलीप सिंह पुत्र श्री माधुसिह
    23/2 अजीत सिंह पुत्र श्री माधुसिंह
    23/3 कोमल कुंवर पुत्री माधुसिंह
    23/4 सागर पत्नी माधुसिंह समस्त जातिगण राजपूत, निवासीगण सुगालिया सिंधलान, तहसील आहोर, जिला जालोर(राज)
24. प्रभुदयाल पुत्र श्री देवेन्द्रसिंह, जाति राजपूत, निवासी फरीदपुर, तहसील व जिला फरीदाबाद (हरियाणा)
25. राजेश पुत्र श्री सतवीर, जाति वाल्मिकी (मेहतर) निवासी कलानोर, तहसील व जिला रोहतक (हरियाणा)
26. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री संजय खान, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री परमानंद शर्मा, निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. श्री मोहम्मद इलियास खान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 24 व 25
4. शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 26 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 12/02/2020

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2015 बउनवान परबतसिंह वगैरा बनाम अचला वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2019 को अपास्त कराने का निवेदन किया। म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सुगालिया सिंधलान, पटवार क्षेत्र चवरडा, भू.अ. नि. क्षेत्र चांदराई, तहसील आहोर जिला जालोर के खसरा नंबर 272 रकबा 1.88 हैक्टेर, खसरा नंबर 273 रकबा 1.06 हैक्टेर, खसरा नंबर 274 रकबा 0.93 हैक्टेर, खसरा नंबर 275 रकबा 1.25 हैक्टेर, खसरा नंबर 276 रकबा 1.97 हैक्टेर, खसरा नंबर 277 रकबा 0.64 हैक्टेर, खसरा नंबर 278 रकबा 0.86 हैक्टेर, खसरा नंबर 279 रकबा 1.98 हैक्टेर, खसरा नंबर 280 रकबा 0.61 हैक्टेर, खसरा नंबर 281 रकबा 0.52 हैक्टेर, खसरा नंबर 284 रकबा 2.34 हैक्टेर, खसरा नंबर 285 रकबा 2.47 हैक्टेर, खसरा नंबर 286 रकबा 0.74 हैक्टेर, खसरा नंबर 287 रकबा 0.44 हैक्टेर, खसरा नंबर 288 रकबा 2.63 हैक्टेर, खसरा नंबर 291 रकबा 13.68 हैक्टेर कुल खसरा 16 रकबा 34.00 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खसरा नंबर 286 रकबा 0.74 हैक्टेर, खसरा नंबर 287 रकबा 0.44 हैक्टेर, खसरा नंबर 288 रकबा 2.63 हैक्टेर, की संपूर्ण आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना एवं खसरा नंबर 291 रकबा 13.68 हैक्टेर में से 2.56 हैक्टेर यानि स्वयं का 3/16 हिस्सा अर्थात 6.375 हैक्टर भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना बताते हुए खातेदार घोषित करने एवं उक्त खसरान की भूमि का बंटवाडा अलग से कर उक्त भूमि मे से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 05 का नाम विलोपित किये जाने का अनुतोष चाहा, साथ ही उक्त खसरान के अतिरिक्त शेष खसरान से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का नाम विलोपित कर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 25 के मध्य बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत वाद की अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 25 को जानकारी होने पर दिनांक 06.11.2015 को अपने अधिवक्ता के जरिये न्यायालय में उपस्थित होकर अपना संयुक्त जवाब प्रस्तुत किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का खंडन करते हुये अपने जवाब वाद पत्र के साथ नक्शा शेड्यूल "बी" प्रस्तुत किया तथा साथ ही निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा अपने वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" में "क" भाग के रूप में अपना हिस्सा जरिये बंटवाडा प्रापत करने हेतु जो भूमि बताई गई है व गलत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। जबकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 25 ने अपने द्वारा खरीद की गई भूमि पर वक्त खरीद से काबिज काश्त होने वाली भूमि अपने जवाब के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "बी" में लाल रंग से जो भू–भाग दर्शित किया है उक्त नक्शा परिशिष्ठ "बी" में लाल रंग से दर्शित भाग को अपने कब्जे अनुसार अलग कर दिये जाने तथा अलग राजस्व खाता कायम किया जाकर उसके अनुसार लगान निर्धारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस और कोई ध्यान न देकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 14.11.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार आहोर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत आदेशित किया गया, जिसकी पालना मे तहसीलदार आहोर द्वारा पालना रिपोर्ट/भू.अभिलेख/188/09.01.2018 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 15.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। किन्तु इस संबध में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 25 को सूचित नहीं किया जाकर उक्त विभाजन प्रस्ताव अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 25 की गैर मौजूदगी में तैयार की गई। जिसकी जानकारी अपीलांट को होने के पश्चात अपीलांट ने दिनांक 13.04.2018 का स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर पालना रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः संशोधित विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार आहोर को निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में दिनांक 25.09.2018 को मौका फर्द तैयार की गई, किन्तु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 25 को केवल मात्र दूरभाष पर सूचित किये जाने का नोट अपनी मौका फर्द में लगा दिया, जबकि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 05 को दूरभाष पर सूचित नहीं किया गया एवं न ही उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 25 के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेन्ट के शपथ पत्र बयान रेकर्ड पर नहीं लिये गये। जिससे साक्ष्य शपथ पत्र के अभाव में किसी भी पक्षकार को अपना प्रकरणरा साबित करने एवं अपना कब्जा काश्त होने के संदर्भ में संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 25 की गैर मौजूदगी में एकतरफा तैयार की गई मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो का उल्लघंन करते हुए बिना अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाते हुए प्रकरण में रिमांड फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सुगालिया सिंधलान, पटवार क्षेत्र चवरडा, भू.अ. नि. क्षेत्र चांदराई, तहसील आहोर जिला जालोर के खसरा नंबर 272 रकबा 1.88 हैक्टेर, खसरा नंबर 273 रकबा 1.06 हैक्टेर, खसरा नंबर 274 रकबा 0.93 हैक्टेर, खसरा नंबर 275 रकबा 1.25 हैक्टेर, खसरा नंबर 276 रकबा 1.97 हैक्टेर, खसरा नंबर 277 रकबा 0.64 हैक्टेर, खसरा नंबर 278 रकबा 0.86 हैक्टेर, खसरा नंबर 279 रकबा 1.98 हैक्टेर, खसरा नंबर 280 रकबा 0.61 हैक्टेर, खसरा नंबर 281 रकबा 0.52 हैक्टेर, खसरा नंबर 284 रकबा 2.34 हैक्टेर, खसरा नंबर 285 रकबा 2.47 हैक्टेर, खसरा नंबर 286 रकबा 0.74 हैक्टेर, खसरा नंबर 287 रकबा 0.44 हैक्टेर, खसरा नंबर 288 रकबा 2.63 हैक्टेर, खसरा नंबर 291 रकबा 13.68 हैक्टेर कुल खसरा 16 रकबा 34.00 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खसरा नंबर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

286 रकबा 0.74 हैक्टेर, खसरा नंबर 287 रकबा 0.44 हैक्टेर, खसरा नंबर 288 रकबा 2.63 हैक्टेर, की संपूर्ण आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना एवं खसरा नंबर 291 रकबा 13.68 हैक्टेर में से 2.56 हैक्टेर यानि स्वयं का 3/16 हिस्सा अर्थात 6.375 हैक्टर भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना बताते हुए खातेदार घोषित करने एवं उक्त खसरान की भूमि का बंटवाडा अलग से कर उक्त भूमि मे से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 05 का नाम विलोपित किये जाने का अनुतोष चाहा, साथ ही उक्त खसरान के अतिरिक्त शेष खसरान से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का नाम विलोपित कर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 25 के मध्य बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर प्रकरण में दिनांक 14.11.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार आहोर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत आदेशित किया गया, जिसकी पालना मे तहसीलदार आहोर द्वारा पालना रिपोर्ट/भू.अभिलेख/188/09.01.2018 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 15.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 13.04.2018 का स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर पालना रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत तहसीलदार आहोर को आदेशित किया गया। जिसकी पालना में दिनांक 25.09.2018 को मौका फर्द तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पर स्पष्ट अंकन है कि "प्रतिवादीगण 24 व 25 यानि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 25 को दूरभाष पर सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुये।" जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट जानबूझकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय उपस्थित नहीं हुए। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 07.12.2019 में यह अंकन किया है कि "तहसीलदार आहोर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर दोनो पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा कोई एतराज जाहिर नहीं किया एवं दोनो अधिवक्ता प्राथमिक डिक्री अनुसार अन्तिम डिक्री बाबत सहमत है।" जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 25 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के संबध में होने वाली समस्त प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान था, किन्तु वह जानबूझकर उपस्थित नहीं आये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार आहोर द्वारा प्रस्तुत विधिसम्मत मौका रिपोर्ट के आधार पर समस्त पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सुगालिया सिंधलान, पटवार क्षेत्र चवरडा, भू.अ. नि. क्षेत्र चांदराई, तहसील आहोर जिला जालोर के खसरा नंबर 272 रकबा 1.88 हैक्टेर, खसरा नंबर 273 रकबा 1.06 हैक्टेर, खसरा नंबर 274 रकबा 0.93 हैक्टेर, खसरा नंबर 275 रकबा 1.25 हैक्टेर, खसरा नंबर 276 रकबा 1.97 हैक्टेर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खसरा नंबर 277 रकबा 0.64 हैक्टेर, खसरा नंबर 278 रकबा 0.86 हैक्टेर, खसरा नंबर 279 रकबा 1.98 हैक्टेर, खसरा नंबर 280 रकबा 0.61 हैक्टेर, खसरा नंबर 281 रकबा 0.52 हैक्टेर, खसरा नंबर 284 रकबा 2.34 हैक्टेर, खसरा नंबर 285 रकबा 2.47 हैक्टेर, खसरा नंबर 286 रकबा 0.74 हैक्टेर, खसरा नंबर 287 रकबा 0.44 हैक्टेर, खसरा नंबर 288 रकबा 2.63 हैक्टेर, खसरा नंबर 291 रकबा 13.68 हैक्टेर कुल खसरा 16 रकबा 34.00 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर खसरा नंबर 286 रकबा 0.74 हैक्टेर, खसरा नंबर 287 रकबा 0.44 हैक्टेर, खसरा नंबर 288 रकबा 2.63 हैक्टेर, की संपूर्ण आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना एवं खसरा नंबर 291 रकबा 13.68 हैक्टेर में से 2.56 हैक्टेर यानि स्वयं का 3/16 हिस्सा अर्थात 6.375 हैक्टर भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना बताते हुए खातेदार घोषित करने एवं उक्त खसरान की भूमि का बंटवाडा अलग से कर उक्त भूमि मे से अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 05 का नाम विलोपित किये जाने का अनुतोष चाहा, साथ ही उक्त खसरान के अतिरिक्त शेष खसरान से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का नाम विलोपित कर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 से 25 के मध्य बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांट ने उक्त अपील में मुख्य बिन्दु यह लिया है कि तहसीलदार आहोर द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 25 की अनुपस्थिति में बनाई गई एवं साथ ही अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस संबध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर प्रकरण में दिनांक 14.11.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार आहोर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत आदेशित किया गया, जिसकी पालना मे तहसीलदार आहोर द्वारा पालना रिपोर्ट/भू. अभिलेख/188/09.01.2018 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 15.01. 2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांट ने दिनांक 13.04.2018 का स्वंय न्यायालय में उपस्थित होकर पालना रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत तहसीलदार आहोर को आदेशित किया गया, जिसकी पालना में दिनांक 25.09.2018 को मौका फर्द तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पर स्पष्ट अंकन है कि "प्रतिवादीगण 24 व 25 यानि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 25 को दूरभाष पर सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं हुये।" इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 07. 12.2019 में यह अंकन किया है कि "तहसीलदार आहोर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर दोनो पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा कोई एतराज जाहिर नहीं किया एवं दोनो अधिवक्ता प्राथमिक डिक्री अनुसार अन्तिम डिक्री बाबत सहमत है।" अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार आहोर द्वारा तैयार मौका फर्द पर अपीलांट द्वारा बार–बार ऐतराज करने से यह स्पष्ट है कि अपीलांट को तहसीलदार आहोर द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट के संबध में पूर्णतया जानकारी थी, किन्तु अपीलांट एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 25 जानबूझकर मौके पर उपस्थित नहीं हुए। इसके अतिरिक्त अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 25 के अधिवक्ता द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार आहोर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होना जाहिर किया है। जिससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 25 व उनके अधिवक्ता को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया का पूर्णतया ज्ञान था। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने उक्त अपील में ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं किया है, जिससे जैर अपील निर्णय व डिक्री मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को सुनवाई का पूर्णतया अवसर देते हुए धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। तथा सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2015 बउनवान परबतसिंह वगैरा बनाम अचला वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2019 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली